बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग]१—कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४

विषय-सूची

	पृष्ठ
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४II के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।	१—४५९
दैनिक निबंध	४६१

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४ ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि २८ मार्च, १९७४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री हरिनाथ मिश्र के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

परिशिष्ट

प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—महाशय, मैं षष्ठ बिहार विधान-सभा के सप्तम सत्र के २४ अनागत अल्प-सूचित, ८९,८८ तारांकित एवं ५६,४६ अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(॥) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज़ पर रखता हूं ।

सूची ।

क्रम सं० ।	सदस्य का नाम ।		अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ।
१	श्री कपिलदेव सिंह	....	अ-सू-४
२	श्री गजेन्द्र प्रसाद 'हिमान्शु'	....	अ-सू-३७
३	श्री नन्द कुमार सिंह	...	अ-सू-२२८
४	श्री राम नारायण साह	...	अ-सू-३३

टिप्पणी—राज्य में उत्पन्न असामान्य स्थिति के कारण प्रश्नोत्तर स्थगित रहा ।

(३) क्या यह बात सही है कि जब वे मांझी प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देते है तो उन्हें इकमा प्रखंड में जाने के लिये कहा जाता है और जब वे इकमा प्रखंड में जाते हैं तो उन्हें मांझी भेजा जाता है;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उन्हें मुआवजा एवं सूद की राशि के भुगतान की व्यवस्था करेगी ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग—(१) श्री हरनाथ प्रसाद तिवारी, ग्राम खुटकढ़वा, थाना इकमा के नाम से कोई क्षतिपूर्त्ति विवरणी (रिटर्न) उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इनके नाम में कोई जमींदारी थी जो सरकार द्वारा ले ली गई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

(३) उत्तर नकारात्मक है।

(४) श्री हरनाथ प्रसाद तिवारी को निबंधित डाक द्वारा सूचित किया गया है कि वे अपने मध्यवर्त्ती स्वार्थ की विवरणी दाखिल करें। उसके उपरान्त ही सत्यापन के पश्चात् जो मुआवजा तथा सूद देय होगा, उन्हें भुगतान किया जा सकेगा।

वसूली के संबंध में।

ण-११७। श्री अनुपलाल यादव—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) जमींदारी उन्मूलन से पूर्व भू-राजस्व कितना मिलता था और उससे सरकार को कितना मिलता था ;

(२) सन् १९७१-७२ में कुल भू-राजस्व की रकम क्या थी तथा वसूली कितनी हुई ?

प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग—(१) जमींदारी उन्मूलन के पूर्व भूतपूर्व मध्यवर्त्ती रैयतों से भू-राजस्व के रूप में कितने वसूल करते थे, इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है, परन्तु मध्यवर्तियों से भू-राजस्व के रूप में सरकार को

जो राशि जमींदारी उन्मूलन के पहले तीन वर्षों में प्राप्त हुई थी वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष ।			मांग ।
१९४९-५०	....	....	१,४२,३५,०४२
१९५०-५१	....	....	१,५९,४९,२०५
१९५१-५२	....	....	१,४४,८३,५०६

मांग की सारी राशि चूंकि जमींदारों द्वारा भुगतेय थी, इसलिए पूर्ण रूप से सरकार को मिल जाया करती थी ।

(२) वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में भू-राजस्व के मद में कुल मांग १३,९२, ७०,४९२ रुपये थी जिसके विरुद्ध ७,१४,५८,५०० रुपये की वसूली हुई तथा १,२४,३७,५७८ रुपये के लगान की माफी स्वीकृत की गई ।

श्री राजदेव सिंह को विरमित करने के संबंध में ।

रा-१३१ । श्री अम्बिका प्रसाद एवं श्री जागेश्वर हजरा—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री राजदेव सिंह पेशकार, सोनपुर रेलवे मजिस्ट्रेट चेकिंग, जिला सारण का स्थानान्तरण तीन वर्षों की सेवा अवधि के बाद समाहर्त्ता, सारण के ज्ञापांक १०६८, दिनांक २४ अप्रील १९७३ द्वारा कर दिया गया है एवं रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा उनके रोकने के प्रस्ताव को समाहर्त्ता के ज्ञापांक १३०४, दिनांक ७ मई १९७३ द्वारा रद्द किया जा चुका है तथा उनके प्रतिस्थानी ने भी दिनांक ४ मई १९७३ को कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिन्हें अभी तक पूर्ण प्रभार नहीं मिला है ;

(२) क्या यह बात सही है कि समाहर्त्ता के उचित आदेश के बिना ही श्री राजदेव सिंह को स्थापना शाखा द्वारा तीन महीने के लिये उनके पूर्ववर्त्ती पद पर प्रतिनियुक्ति करने का पत्र पत्रांक १४५८, दिनांक २३ मई १९७३ द्वारा निर्गत किया गया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर भी समाहर्त्ता, सारण के ज्ञाप सं० २७८५, दिनांक ३ नवम्बर १९७३ में श्री राजदेव